

नियम 51 : प्रतिदाय वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट प्रतिदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह — हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः “-” और “/” के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो;
- (ङ.) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख;
- (च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है;
- (छ) प्रतिदाय की गई रकम;
- (ज) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (ञ) क्या कर विलोम प्रभार आधार पर संदेय है; और
- (ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।